P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

समसामयिक विश्व में मानवाअधिकारो को आतंकवादी चुनौति एवं संयुक्त राष्ट्र की भूमिका

विश्वामित्र वैष्णव
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
अजमेर, राजस्थान

सारांश

हमारी सभ्यता और इसका का विकास हमारी नैतिकता, सद्भावना, विवेकशीलता एवं विचारशीलता का परिणाम है परन्तु विज्ञान और तकनीक के वृद्धि और विकास तथा हमारी अति महत्वाकाक्षाओं की प्रवृत्ति के संदर्भ में हम अतित के विभिन्न युद्धों को इसमें देख सकते है इसी सन्दर्भ में आतंकवाद इस सहस्त्राब्दी की गंभीर समस्या के रूप में उभरा हैं सम्पूर्ण विश्व चिंतित है ग्लोबलवार्मिंग और पर्यावरण समस्या भी गंभीर है विश्व अनेक समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं पर विचार करने हेतु एक मंच की आवष्यकता हमेषा रहेगी और इस संबंध में विश्व के लोगों के अंतकरण एवं आषा की अभिव्यक्ति "संयुक्त राष्ट्र" जो कि 24 अक्टूबर 1945 से अपने उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर पिछले सात दषकों से शांति, सुरक्षा एवं मानवकल्याण के लिये कार्य कर रहा है। चूंकि विश्व की सभी समस्याओं का संबंध मानव एवं इसके अधिकारों से है आतंकवाद जैसे वैष्विक समस्या के समाधान हेतु विश्व की अपेक्षा इस अन्तरराष्ट्रीय संगठन से बढ जाती है अभी तक के इस विश्व संस्था के कार्य सराहनीय है लेकिन आतंकवाद को जड़ से हटाने के लिए विश्व को संयुक्त राष्ट्र से अपेक्षा है।

मुख्य शब्द : आतंकवाद, मानवाधिकार, सयुंक्त राष्ट्र, सयुंक्त राष्ट्र चार्टर, मेग्नाकार्टा, मानवाधिकारों का सार्वजनीन घोषणा पत्र, सभ्यताओं का संघर्ष, संवाद्धर्मिता।

प्रस्तावना

किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उत्पीड़न एवं यातनाओं से मुक्ति जीवनयापन का हक है और मानवाधिकार ऐसे ही सुसस्कृत एवं सुसभ्य समाज की एक अवधारणा है और मानव सभ्यता का विकास मनुष्य की नैतिकता, सद्भावना, विवेकशीलता एवं विचारशीलता का परिणाम है लेकिन साथ ही मानव की आसुरी प्रवृत्तियों से इन्कार नहीं किया जा सकता, अतित के विभिन्न युद्धों में इसे देखा जा सकता है इसी सन्दर्भ में आतंकवाद इस सहस्त्राब्दी की गंभीर समस्या के रूप में उभरा हैं सम्पूर्ण विश्व चिंतित है और जैसा कि विश्व के लोगों के अंतकरण एवं आषा की अभिव्यक्ति "संयुक्त राष्ट्र" जो कि 24 अक्टूबर 1945 से अपने उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के आधार पर धीरे–धीरे ही सही लेकिन पिछले सात दषकों से शांति, सुरक्षा एवं मानवकल्याण के लिये कार्य कर रहा है आतंकवाद जैसी इस वैष्विक समस्या के समाधान हेतु विश्व की अपेक्षा इस अन्तरराष्ट्रीय संगठन से बढ जाती है लेकिन न केवल सदस्य राष्ट्र बल्कि सम्पूर्ण विश्व समुदाय इसके लिए अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति के साथ इस संस्था के माध्यम से कार्य करे तो समस्या का समाधान अवष्य हो सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. मानवाधिकारों का परिचय, परिभाषा एवं विकास,
2. आतंकवाद की समस्या का विष्लेषण,
3. विश्व की समसामयिक परिस्थितियां और आतंकवाद से मानवाधिकारों पर प्रभाव,
4. मानवाधिकारों की सुरक्षार्थ सयुंक्त राष्ट्र चार्टर में प्रावधान,
5. विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के माध्यम से, अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा तथा सयुंक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु किये गये प्रयास एवं संयुक्त राष्ट्र से अपेक्षा एक विष्लेषण।

मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के मात्र मनुष्य होने के कारण प्राप्त वे अधिकार है जो अहरणीय, अविभाज्य एवं अंतर–निर्भर हैं और विषेष बात जिनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है यह किसी देश या क्षेत्र विषेष की सीमाओं में बंधा हुआ नही है जैसा कि

अज्ये ठासोअकनिठास एते।
सं भ्रातरो वावृधुः सौभगाय।।

अर्थात कोई श्रेष्ठ या निम्न नहीं है सभी बंधु हैः सभी लोग सभी के हितों के लिए प्रयत्न करें तथा सभी सामूहिक रूप से प्रगति करें इस प्रकार सभी मनुष्यों को समान एवं भाई माना गया है। इसी प्रकार संगच्छधवं सं सदध्वं सं वो मनांसि जानताम्। इसका अर्थ है– ऐ मानव प्राणी आप सभी परस्पर सहयोग से साथ–साथ रहें, मित्रतापूर्वक एक दूसरे से वार्ता करें, एवं जीवन के साझे आदर्षों वाला ज्ञान प्राप्त करें। [1]

भारत में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि मानवाधिकारों की बात करते है तो मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का विवेचन अनेक स्थानों पर मिल जाता है इनमें वेदों एवं विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के साथ ही 1860 में भारतीय दण्ड संहिता में अपराधों का स्वरूप निर्धारित किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1895 के संविधान बिल, 1929 के कामनवेल्थ कम्युनिटी बिल, 1929 के लाहौर अधिवेषन, 1931 के कराची अधिवेषन, 1935 के अधिनियम एवं तत्पष्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाव एवं भाग–3 में मौजूद मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान, मानवाधिकारों के प्रति भारत की अभिवृत्ति को बताता है।

राजनीति षास्त्री जॉन लॉक निरंकुष राजतंत्र का विरोधी और सरकार के सीमित अधिकारों के पक्षधर थे, मांटेस्क्यू विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की वकालत करके संतुलन के माध्यम, रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सर्वत्र जंजीरों में जकडा रहता है, राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्वांत के विरूद्ध सामाजिक समझौतेवादी विचारकों एवं रूसों का सामान्य इच्छा, उदारवादी, उदारवादी–लोकतांत्रिक विचारक, मार्क्सवादी, मानवतावादी और अंतत आज का विश्व का अंतकरण एवं आशा का केन्द्र संयुक्त राष्ट्र भी मानवाधिकारों के पक्ष में प्रयासरत है जिसे आज विश्व आतंकवाद से चुनौती मिल रही है।

आतंकवाद से विश्व के विभिन्न देशों के इतिहास पर बड़ा असर हुआ है आरंभ से ही राजा, राजनेताओं, सरकारों और राजवंषों के परिवर्तन को भी प्रेरित किया है यहां तक कि प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध भी ऐसी घटनाओं से प्रभावित रहा है और आज इस दुनिया में विषेष रूप से 11 सितंबर 2001 की आतंकवादी घटना के बाद तो आतंकवाद प्रमुख समस्याओं में से एक बन गयी है जो एक सुरक्षित एवं कल्याणकारी विश्व के सम्मुख एक चुनौति है।[2]

आतंकवाद के प्रभाव से विश्व में अनेक नई–नई समस्याओं का जन्म हो रहा है आतंकवाद से कोई भी देश अपना भला नहीं कर सकता है, पाकिस्तान इसका उदाहरण है यह आंतकवाद का गढ बन गया है वह स्वयं भी इस समस्या सेछुटकारा पाना चाहता है वहाँ पर विभिन्न आतंकवादी संगठन लगातार बेगुनाह लोगों की जान ले रहे है मानवता का क्रंदन हम देख सकते है। [3]

हम यह भलीभातीं जानते हैं कि आतंकवाद एक प्रकार का माहौल है यह एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है जो कि अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं विचारधारात्मक लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति के लिए गैर–सैनिक अर्थात नागरिकों की सुरक्षा को भी निषाना बनाते है।[4]

संपूर्ण विश्व के लिये आतंकवाद एक राष्ट्रीय और अंतरर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है यह एक वैष्विक समस्या है जिसने लगभग सभी राष्ट्रों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है इसका बुरा पहलू यह है कि कई बार यह हमले अपने धार्मिक या वैचारिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिये होते है, यह राष्ट्र को उचित विकास से कई वर्ष पीछे ढकेल देता है हालॉकि ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद हमेषा अपने जड़ को गहराई से फैलाता रहेगा क्योंकि अपने अनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कुछ राष्ट्र अभी भी इसको समर्थन दे रहे है।[5]

कोई नहीं चाहता कि आतंकवाद सिर उठाये। किसी के दिल में आतंक करने वालों के प्रति हमदर्दी नहीं है। सब चाहते हैं कि वे सुकून और शांति से जीवन बितायें।

आतंकवाद को साफ करने के लिये हमें राजनीति को सुधारना होगा लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वे किसी के बहकावे में नहीं आयें। सीमाओं के मसलों को सुलझाना होगा देश के नागरिकों को षिक्षित करना होगा उन्हें देश के प्रति वफादारी और न्याय की सीख देनी होगी हम कोषिष करें तो आतंकवाद का यह दानव सिर नहीं उठा सकता।[6]

सेमुअल हंटिंगटन के सभ्यताओं के संघर्ष जैसी अवधारणा एक ऐसी समस्या है जिसका गहन विष्लेषण करने की जरूरत है इसके लिए अमरीका और समस्त पश्चिमी समुदाय को अत्यंत समझदारी तथा मुस्लिम देशों की ओर से गहन आत्म विष्लेषण करने की आवष्यकता होगी जिससे की त्रासदियों का दोहराव न हो सके।

हाल ही में कैमरून, फिलिपिन्स, ट्यूनिषिया, नाईजीरिया, माले, पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, ग्रीक, सउदी अरेबिया, अफगानिस्तान, तुर्की, फ्रांस, लेबनान, चीन, युक्रेन, इजराइल, फिलिपिन्स, लिबिया, किनिया, इराक, बोस्निया हर्जेगोविना, चाड, ब्रिटेन एवं भारत में हुये आतंकवादी हमलों को भूला नहीं जा सकता इनमें तो कुछ राष्ट्रों पर एक से ज्यादा और लगातार हमले भी हो रहे है।

इतिहास नाना प्रकार के युद्धों, हस्तक्षेपों और आतंकवादी कार्रवाइयों से लंबे अरसे से कराह रहा है दो देशों के बीच युद्ध सदियों से होते रहे है भारत पर अफगानों, मुगलों, तुर्कों, यवनों, शकों, हुणों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डचों, अंग्रेजों आदि के द्वारा प्राचीनकाल से आधुनिक काल तक आक्रमण होते रहे हैं जिनके उद्देश्य सांस्कृतिक, आर्थिक, साम्राज्यवादी और राजनैतिक रहे हैं। आधुनिक युग में दो महायुद्ध क्रमशः 1914–1918 तथा 1939–45 में लड़े गये जिनके भीषण अमानवीय परिणाम हुए जिनमें करोड़ों लोग मारे गए, यह मानवाधिकारों का हनन है। पिछली चार–पांच सदियां प्रमुख साम्राज्यवादी देशों यथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, अमेरिका आदि के उपनिवेषी शासन के रूप में गुजरी हैं जिन्होंने अधीनस्थ उपनिवेषों को न केवल लूटा बल्कि उनकी संस्कृतियों, इतिहास, देशज आर्थिक, राजनैतिक एवं

सामाजिक पद्वतियों को जंगली, बर्बर एवं असभ्य करार दिया था, उनका प्रसिद्ध जुमला था–"व्हाइट मैन्स बर्डेन" अर्थात दूसरे समाजों और संस्कृतियों को सुधारने एवं सभ्य बनाने का भार गोरे लोगों पर था।.....इस प्रकार वे अपने आक्रमणों और हस्तक्षेपों को दूसरों को सभ्य बनाने के लिए सर्वथा उचित कार्रवाई मानते थे। आज भी महाषक्तियॉ आक्रमण, कब्जा, सैनिक हस्तक्षेप करते है अमरीका ने पश्चिम एशिया के तमाम देशों में उपलब्ध तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिये आक्रमण किए जैसा कि हरपाल बराड़ ने ठीक ही कहा हैः "अगर किसी को बीसवीं सदी की शुरूआत से पश्चिम एशिया की अर्थनीति और राजनीति को समझना है तो उसे सिर्फ एक शब्द के मायने तथा अहमियत को समझना होगा और वह शब्द है–तेल।".....इस सच के आलोक में अमरीका की सेंट्रल इन्वेस्टीगेषन एजेंसी (सी0आई0ए0) जो गुप्तचर कार्यों के लिए सबसे कुख्यात संस्था है के भूतपूर्व निदेशक जेम्स आर. वूसली ने एक बार स्वयं स्वीकार किया था कि हम मध्य पूर्व (एशिया) में जनतांत्रिक सत्ताओं को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि इससे हमारा सबसे बडा पेट्रोल पंप हमारे हाथ से निकल जाने का खतरा है।.....परमाणु बम से भी पूरी दुनिया में शांति का खतरा है भारत के 1998 के परीक्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भी परमाणु बम बनाए और वहां के वैज्ञानिक डॉ. ए. क्यू. खान ने ईरान, उत्तरी कोरिया, लीबिया आदि को अवैध रूप से उस तकनीक को बेच दिया।.....पाकिस्तान की भूतपूर्व राष्ट्र प्रमुख बेनजीर भुटटों ने वहां सैनिक शासन की तानाशाही को ही अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जड़ माना था। [7]

अर्थात् उपर्युक्त संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों का हनन केवल आतंकवाद, आत्मघात, जेहाद, युद्धोन्माद, आक्रमण एवं हस्तक्षेप ही नहीं है विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रों का शोषण भी है जैसा कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है।

आतंकवाद की इस भयावहता से मुक्ति हेतु सम्पूर्ण विश्व यदि किसी की तरफ देखता है तो वह है संयुक्त राष्ट्र। 24 अक्टूबर 1945 को इसका चार्टर लागू हुआ है और तब से यह विश्व की आषा का केंन्द्र बना हुआ है इस विश्व संस्था के अभी तक के किये गये प्रयासों का अवलोकन किया जा सकता है लेकिन इसके पूर्व में भी कुछ प्रयास किये गये थे जिनमें 1215 ई0 में सामंतों और ब्रिटेन के सम्राट के बीच समझौता हुआ जो "मैग्ना कार्टा" यानी "ग्रेट चार्टर" के नाम से जाना जाता है, 1627 में अधिकारों की याचिका और 1688 ई0 में अधिकारों के विधेयक में मानवाधिकार शामिल किए गए और इसके साथ ही द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की स्वतंत्रता की घोषणा 1776, फ्रांसीसी क्रांति 1789, मनुष्य एवं नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789, अमेरिकी विधिषास्त्र एवं अधिकार विधेयक 1791, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने श्रमिक और शोषितजनों के अधिकारों की घोषणा 1918 में की जिसमें मनुष्य के द्वारा मनुष्य के शोषण का उन्मूलन, समाज के वर्ग विभाजन की पूर्ण समाप्ति, समाजवादी संगठन की स्थापना, सभी देशों में समाजवाद की विजय, मूल कर्त्तव्य आदि को शी शामिल किया गया है इन सभी में मानवाधिकारों एवं नागरिक अधिकारों की बात की गई है।

जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किये गये प्रयासों का प्रश्न है सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई जिसमें प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद हैं इस घोषणा के पूर्व तीन वर्षों तक विभिन्न चिंतकों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राष्ट्रों ने मानवाधिकारों पर गंभीर चर्चा–परिचर्चा की थी। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य उद्देश्य चूंकि मानव–परिवार के सभी सदस्यों की अन्तर्निहित गरिमा एवं सम्मान तथा अहरणीय अधिकारों की मान्यता, विश्व में स्वतंत्रता, न्याय एवं शान्ति की आधारशीला है इसलिये सभी राष्ट्रों के लिए एक साझे उपलब्धि–स्तर के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इस उद्देश्य हेतु घोषित करती है कि इस घोषणा को सत्त रूप से ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का अंग प्रचार एवं षिक्षण के जरिए इन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान में संवृद्धि करने का प्रयास करेगा तथा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रगतिशील उपायों के द्वारा स्वयं सदस्य राष्ट्रों के लोगों के बीच तथा प्रभावकारी मान्यता एवं कार्यान्वयन की स्थिति सुनिष्चित करने का प्रयास करेगा इन मानवाधिकारों कों नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों में बांटा गया है।

ऐसा नहीं है कि मानवाधिकारों के लिए संघर्ष या मान्यता सयंक्त राष्ट के अंतर्गत ही की गइ बल्कि मानवाधिकारों की व्यवस्था शताब्दियों के विकास का परिणाम है मानव जाति अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है इसके उदाहरण इतिहास में देखने का मिलते है। जैसे 1215 में मैगनाकार्टा, 1676 में बंदीप्रत्यक्षीकरण अधिनियम, 1969 के बिल ऑफ राइट्स, 1776 का अमरीका की स्वतंत्रता की घोषणा, 1789 की फ्रांसीसी मानवाधिकरों की घोषणा आदि ने मानवाधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। बर्लिन कांग्रेस, ब्रुसेल्स सम्मेलन तथा दोनों हेग सम्मेलनों में मानवत्व के वक्तित्व को मान्यता प्रदान करने के लिए अनेक प्रयास किये गए। ....प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मानवाधिकारों के अंतर्गत आत्म निर्णय के धिकारा की रक्षा के उद्देश्य से राष्ट संघ में मैंडेट प्रणाली का सूत्रपात हुआ।

इसके साथ ही 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एवं 3 जनवरी 1976 से प्रभावी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रंसविदा भी सभी जन–समाजों को आत्मनिर्णय का अधिकार देता है, बाल अधिकार संबंधी अभिसमय को भी संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर 1989 को मान्यता दी, संयुक्त राष्ट्र ने 1979 में "महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभावों की समाप्ति अभिसमय" को अपनाया पूरे विश्व में अलकायदा, लष्कर–ए–तोयबा, जैष–ए–मुहम्मद, हरकत–उल–जिहाद जैसे इस्लामी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं हम सब आतंकवाद के दर्द को महसूस कर रहे है आज स्थिति यह है कि मुष्किल से एक सप्ताह का अंतराल भी कभी आतंकवादी गतिविधि के बिना गुजरा हो

यह मासुम लोगों के साथ अन्याय है इससे निजात पाना संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख एजेंडा है आज संयुक्त राष्ट्र के लगभग 18 अभिकरण और अनेक प्रमुख कार्यक्रम है जो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ विषेष अभियान चला रहे है संयुक्त राष्ट्र महासभा के माध्यम से लगातार विश्व इस समस्या के खिलाफ कार्यवाहियों के संदर्भ में विचार करता है, सुरक्षा परिषद जिसका मुख्य कार्य शांति व सुरक्षा है वह भी अनेक सहसंस्थाओं के माध्यम से कार्य कर रही है इसके साथ ही अनेक कार्यक्रम, कार्यालय एवं अभिकरण विषेष गतिविधियों में सदस्य राट्रों के सहयोग से आतंकवाद के सफाये हेतु कार्य कर रहे है सितंबर 2006 से आतंकवादी विरोधी वैष्विक योजना तैयार कि गई है जिसमें सभी सदस्य ने इसकी समाप्ति हेतु एक योजना का निर्धारण किया गया है इस हेतु संयुक्त राष्ट्र को प्रभावी बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

निष्कर्ष

अंत में यही कहा जा सकता है–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्चित् दुःख भाग्भवेत्।।

और ऐसा तभी हो सकता है जब हम दूसरों का सम्मान करें, दूसरों के विचारों को सुने–समझें और अभिव्यक्ति का अवसर दें सांस्कृतिक–सामाजिक विविधता तथा सामाजिक–आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाएं। संवाद्धर्मिता तथा असहमति को पल्लवित–पुष्पित होने देवे जैसा कि यूनेस्को ने सन् 1995 में अपने प्रतिवेदन "पावर आफ कल्चर" में कहा कि वैष्विक सदाचार के लिए मानवाधिकारों, लोकतंत्र, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, शांति एवं समता के बीच संतुलन आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *सुभाष शर्मा, ह्यूम राइट्सः पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल इशुज, ओरिएंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जुलाई 2005*
2. *हरपाल बराड, इराकः साम्राज्यवादी कब्जा और प्रतिरोध 2004, परिकल्पना प्रकाशन, लखनऊ*
3. *यूनिसेफ, दुनिया के बच्चों की स्थिति 2005, युनिसेफ नई दिल्ली*
4. *सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, नेषनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, 2009*
5. *The UN Global Counter Terrorism Strategy Review (A/RES/66/286)*
6. *Secretary Genersl's reporton UN activities to implement the strategy 2012*
7. *General Assembly resolution A/RES/64/297 on the Global Counter Terrorism Streatagy 2010*
8. *Report of the working group on Preventing and Responding to weapons of Man Destruction Attacks 2010*
9. *Article- International Law and the war against terrorism Christopher Greenwood*
10. *Book Review – Terrorism and Political Violence by Walter Enders and Todd Sandier*

पाद टिप्पणी

1. *ऋग्वेद मंडल 5, सूक्त 60, मंत्र 5*
2. *अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद मेजर जनरल विनोद सहगल प्रभात प्रकाशन,2004*
3. *आतंकवाद की समस्या पर निबंध 30 दिसंबर 2014 हिन्दी निबंध*
4. *विकिपिडिया*
5. *हिन्दी की दूनिया.कॉम*
6. *hindi nibandh.com 2014*
7. *सुभाष शर्मा, भारत में मानवाधिकार, नेषनल बुक टस्ट, इण्डिया, नई दिल्ली, 2009*